A052-20222023-001-1673272

संख्या- 96/2022/1103/52-1-2022-1673272

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2022**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों के राजकीय इण्टर कालेजों/राजकीय बालिका इण्टर कालेजों /रा0 हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की प्रथम किश्त की अवशेष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-3458/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन मॉग/2022-23 दिनांक 11.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की प्रथम किश्त की अवशेष राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजनाओं की प्रथम किश्त राज्यांश की अवशेष धनराशि **रू0 995.11 लाख (रूपये नौ करोड़ पच्चानबे लाख ग्यारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के संगत लेखाशीर्ष से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(केन्द्रांश-60/राज्यांश-40) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	कार्यदायी संस्था का नाम	इकाई	कुल अनुमोदित लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	अद्यतन अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष प्रस्तावित प्रथम किश्त राज्यांश		प्रस्तावित अवमुक्त कुल धनराशि (रा0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रामपुर	राजकीय इण्टर कालेज मिलक	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	01	482.70	289.62	193.08	144.81 (के0-144.81 रा0-0.00)	0.00	96.54	96.54
2	तदैव	राजकीय इण्टर कालेज मिलक	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	01	482.70	289.62	193.08	144.81 (के0-144.81	0.00	96.54	96.54

http://shasanadesh.up.gov.in

								रा0-0.00)			
3	**तदैव**	राजकीय इण्टर कालेज शाहाबाद	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	01	482.70	289.62	193.08	144.81 (के0-144.81 रा0-0.00)	0.00	96.54	96.54
4	**तदैव**	राजकीय इण्टर कालेज सैदनगर	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	01	482.70	289.62	193.08	144.81 (के0-144.81 रा0-0.00)	0.00	96.54	96.54
5	**मुरादाबाद**	विकास खण्डभगतपुर टांडा - के भोजपुर राजकीय इण्टर -कालेज में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	1	7.67	4.60	3.07	3.07 (के0-2.30 रा0-0.77)	0.00	0.77	0.77
6	**मुरादाबाद**	विकास खण्डभगतपुर टांडा - केबहोरनपुर में राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षाकक्षों का- निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	02	15.34	9.20	6.14	6.14 (के0-4.60 रा0-1.53)	0.00	1.53	1.53
7	**मुरादाबाद**	विकास खण्ड-बिलारी के शफीलपुर में राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	01	7.67	4.60	3.07	3.07 (के0-2.30 रा0-0.77)	0.00	0.77	0.77
8	**मुरादाबाद**	विकास खण्ड-छजलेट के पैगम्बरपुर में राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	02	15.34	9.20	6.14	6.14 (के0-4.60 रा0-1.53)	0.00	1.53	1.53
9	**मुरादाबाद**	विकास खण्ड-छजलेट के बेगमपुर में राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	02	15.34	9.20	6.14	6.14 (के0-4.60 रा0-1.53)	0.00	1.53	1.53
10	**मुरादाबाद**	विकास खण्ड-मुण्डापाण्डेय के देवापुर में राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	02	15.34	9.20	6.14	6.14 (के0-4.60 रा0-1.53)	0.00	1.53	1.53
11	**मुरादाबाद**	विकास खण्ड-मुण्डापाण्डेय के लक्ष्मीपुर कटाई में राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षाकक्षों का- निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	02	15.34	9.20	6.14	6.14 (के0-4.60 रा0-1.53)	0.00	1.53	1.53
12	**मुरादाबाद**	विकास खण्ड-मुण्डापाण्डेय के मुण्डापाण्डेय में राजकीय हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षाकक्षों का- निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	05	38.35	23.01	15.34	15.34 (के0-11.51 रा0-3.84	0.00	3.84	3.84
13	**मुरादाबाद**	विकास खण्डछजलेट के - मुण्डाखरी में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षाकक्षों का - निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	2	15.34	9.20	6.14	6.14 (के0-4.60 रा0-1.53)	0.00	1.53	1.53
14	**मुरादाबाद**	विकास खण्डठाकुरद्वारा के - रामपुर घोघर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षाकक्षों का - निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	2	15.34	9.20	6.14	6.14 (के0-4.60 रा0-1.53)	0.00	1.53	1.53
15	**मुरादाबाद**	विकास खण्डठाकुरद्वारा के - ठाकुरद्वारा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षाकक्षों का - निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	4	30.68	18.41	12.27	12.27 (के0-9.20 रा0-3.07)	0.00	3.07	3.07
16	**अमेठी**	वि0ख0 जगदीशपुर के	उ0प्र0 राज्य	1	13.20	7.92	5.28	3.96 (के03.96	0.00	2.64	2.64

http://shasanadesh.up.gov.in

		रा0इ0का0 में अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण-	निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0					रा0 0.00)			
17	**गोण्डा**	गोण्डा के रा0इ0का0 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	2	26.40	15.84	10.56	7.92 (के0 7.92 रा0 0.00)	0.00	5.28	5.28
18	**बागपत**	बागपत के रा0बा0इ0का0 में अतिरिक्त कक्षाकक्ष का - निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	1	23.20	13.92	9.28	6.96 (के0 6.96 रा0 0.00)	0.00	4.64	4.64
19	**मुरादाबाद**	वि0ख0-बिलारी एवं मुरादाबाद के रा0 इण्टर कालेज में अति0 कक्षा-कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	2	26.40	15.84	10.56	7.92 (के0 7.92 रा0 0.00)	0.00	5.28	5.28
20	**फर्रूखाबाद**	विकास खड फर्रूखाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	1	352.80	211.68	141.12	105.84 (के0 105.84 रा0 0.00)	0.00	70.56	70.56
21	**पीलीभीत**	राजकीय इण्टर कालेज पूरनपुर	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	1	482.70	289.62	193.08	144.81 (के0 144.81 रा0 0.00)	0.00	96.54	96.54
22	**सिद्धार्थनगर**	वि0ख0-डुमरियागंज में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्राम विकास सहकारी संघ लि0	1	484.10	290.46	193.64	145.23 (के0 145.23 रा0 0.00)	0.00	96.82	96.82
23	**प्रतापगढ़**	शिवगढ में रा0 इ0 कालेज का निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	418.11	250.87	167.24	176.54 (के0 125.43 रा0 0.00)	0.00	32.51	32.51
24	**बाराबंकी**	विकास खण्ड नवाबगंज में राजकीय इण्टर का पुनर्निर्माण	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	1	539.95	323.97	215.98	161.99 (के0 161.99 रा0 0.00)	0.00	107.99	107.99
25	**प्रतापगढ**	बेला प्रतापगढ़ टाउन के बेल्हाघाट में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम (यू0पी0 सिडको)	1	348.72	209.24	139.48	151.10 (के0 104.62 रा0 46.48)	0.00	23.26	23.26
26	**बिजनौर**	विकास खण्डकिरतपुर के - किरतपुर में राजकीय इण्टर कालेज	सी0एण्ड डी0एस0	1	461.04	276.62	184.42	169.05 (के0 138.31 रा0 30.74	0.00	61.47	61.47
27	**मुजफ्फरनगर**	विकास खण्डशाहपुर में - राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	सी0एण्ड डी0एस0	1	345.00	207.00	138.00	131.10 (के0 103.50 रा0 27.60	0.00	41.40	41.40
28	**मुजफ्फरनगर**	विकास खण्डपुरकाजी में - राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण	सी0एण्ड डी0एस0	1	345.00	207.00	138.00	131.10 (के0 103.50 रा0 27.60	0.00	41.40	41.40
			योग							995.11	**995.11**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

http://sisanadesh.up.gov.in

(2)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(3) अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोंदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

(6) प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण के लिये प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि से सम्बन्धित शासनादेशों की शर्तों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(10) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(13) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा

http://sirasanadesh.up.gov.in

रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(18) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(20) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(21)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 एवं 10.11.2022 में उल्लिखित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(22)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(23)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(24)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8909-**अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय **संख्या–यू.ओ. संख्या-E-4-277-2022-23, दिनांक 03.12.2022** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

http://shasanadesh.up.gov.in

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1103(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेजों/बालिका इण्टर कालेजों/रा0 हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ एवं सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. **सम्बन्धित जनपदों के** जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in